राजस्व वाद 08/2022

जीसीएमएस नंबर – ....

नोरतन बनाम् भंवरी वगैरह

निर्णय दिनांक :

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा छापड़ा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 780 रकबा 5.5847 हैक्टर, खसरा नं. 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर व खेत खसरा नं. 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 125 रकब 0.1295 हैक्टेयर गैर मुमकिन टांका, खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर रहती चली आई है। उपरोक्त खेताय का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2065 को कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये है। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से घ) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा को खेत खसरा नंबर 780 रकबा 5.5847 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.79235 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में तथा खेत खसरा नंबर 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से रकबा 2.2905 हैक्टेयर पूर्वी दिशा में तथा खेत खसरा नंबर 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.9672 हैक्टेयर पूर्वी दिशा में रखा गया है तथा खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से रकबा 0.4289693 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा को खेत खसरा नंबर 780 रकबा 5.5847 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2. 79235 हैक्टेयर पूर्वी दिशा में तथा खेत खसरा नंबर 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से रकबा 1.9668 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में तथा खेत खसरा नंबर 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.9672 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में रखा गया है तथा खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से रकबा 0.08903607 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा की तरफ नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 11, 14, 15 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 0.1295 हैक्टेयर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 7 से 10 व 12 से 14 तथा 16 से 19 ने अपना हक बंट अपने भाईयों भतीजो के हक में छोड़ दिया है क्यों कि उनको ससुराल में जमीन मिलने व यहां से नगदी जेवरात मिलने पर इनके हक बंट में कोई हिस्सा नहीं रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 ने दिनांक 11.01.2022 को उपस्थित न्यायालय

2

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

होकर राजीनामा व ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा एवं ईकबाली जबाब बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 21 सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 20 का सम्मन स्वंय से तामिल होकर प्राप्त है जो कि वाद में परफोंमा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 20 व 21 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह नोरतन पुत्र शिवनारायण के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम छापड़ा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 927 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी ग्राम छापड़ा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 928 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी ग्राम छापड़ा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 929 प्रदर्श–3 नकल पेश, मृत्यू प्रमाण पत्र नारायणराम पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील–जायल प्रदर्श–4 पेश किये गए। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा व ईकबाली जबाब को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा एवं ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 19 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा व ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा एवं ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 11.01.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 20 संबंधित बैंक प्रबंधक व प्रतिवादी संख्या 21 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जो कि किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार

अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 11.01.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा छापड़ा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा छापड़ा के खेत खसरा नं. 780, 817, 1455/813, 125, 1416/426 का माफिक राजीनामा एवं ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 780, 817, 1455/813, 125, 1416/426 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 25.01.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 25.01.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2108 दिनांक 08.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रामेश्वरी, मेहराम, विनोद ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान भगवानाराम व सोहनराम तथा भू.अभि.निरीक्षक डेह की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा छापड़ा के खेत खसरा नं. 780, 817, 1455/813, 125, 1416/426 भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छापड़ा के खेत खसरा नं. 780, 817, 1455/813, 125, 1416/426 भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी नोरतन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा को खेत खसरा नंबर 780 रकबा 5.5847 हैक्टेयर में से रकबा 2.7924 हैक्टेयर पश्चिमी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से रकबा 2.2905 हैक्टेयर पूर्वी भाग में तथा खेत खसरा नंबर 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में से रकबा 0.9672 हैक्टेयर पूर्वी

भाग में रखा गया है तथा खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से रकबा 0.4122 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

2. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राममेश्वरी 1/2 व मेहराम 1/2 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा को खेत खसरा नंबर 780 रकबा 5.5847 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.7923 हैक्टेयर पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से रकबा 1.9668 हैक्टेयर पश्चिमी भाग में तथा खेत खसरा नंबर 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.9672 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है तथा खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से रकबा 0.0729 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी कोना नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. मेहराम पुत्र चेनाराम 1/2, नोरतन पुत्र शिवनारायण 1/2 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 0.0329 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुशार रखा गया है।
4. प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र नारायणराम, 1/2, पारूदेवी पत्नी धर्माराम 1/4, विनोद पुंत्र धर्माराम 1/4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 0.1295 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 7 से 10 व 12 से 14 तथा 16 से 19 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 7 से 10 व 12 से 14 तथा 16 से 19 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के सबंधित बैंक को सूचित होकर सूचना अद्यतन की जावे।(रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 08 / 2022

जीसीएमएस नंबर – ....

नोरतन बनाम् भंवरी वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 8 / 2022

वादीगण–

1. नोरतन पुत्र शिवनारायण, जाति–जाट निवासी– छापड़ा ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भंवरी देवी पुत्री शिवनारायण
2. रेशमी पुत्री शिवनारायण
3. रामेश्वरी पुत्री शिवनारायण
4. शांति पुत्री शिवनारायण
5. रामेश्वरी पत्नी चेनाराम
6. मेहराम पुत्र चेनाराम
7. कैलाशी पुत्री चेनाराम
8. मनफूल पुत्री चेनाराम
9. संतोष पुत्री चेनाराम
10. सरिता पुत्री चेनाराम
11. श्रवणराम पुत्र नारायणराम
12. सोहनी देवी पुत्री नारायणराम
13. भंवरी देवी पुत्री नारायणराम
14. पारूदेवी पत्नी धर्माराम
15. विनोद पुत्र धर्माराम
16. सरोज
17. मंजु
18. अमिता
19. गीता पुत्रिया धर्माराम, **जातियान–जाट निवासीगण–छापड़ा, तहसील जायल (नागौर)**
20. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा मांगलोद।
21. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

5. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी
6. श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 19
7. प्रतिवादी संख्या 20 परफॉमा पक्षकार।
8. प्रतिवादी संख्या 21 राजपैरोकार उपस्थित।

22/6/2022

राजस्व वाद 08/2022
जीसीएमएस नंबर – ....
नोरतन बनाम् भंवरी वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 19 हाजरी श्री रामप्रकाश वेन्दा व प्रतिवादी संख्या 21 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छापड़ा के खेत खसरा नं. 780, 817, 1455/813, 125, 1416/426 भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी नोरतन के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा को खेत खसरा नंबर 780 रकबा 5.5847 हैक्टेयर में से रकबा 2.7924 हैक्टेयर पश्चिमी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से रकबा 2.2905 हैक्टेयर पूर्वी भाग में तथा खेत खसरा नंबर 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में से रकबा 0.9672 हैक्टेयर पूर्वी भाग में रखा गया है तथा खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से रकबा 0.4122 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राममेश्वरी 1/2 व मेहराम 1/2 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा को खेत खसरा नंबर 780 रकबा 5.5847 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.7923 हैक्टेयर पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 1455/813 रकबा 4.2573 हैक्टेयर में से रकबा 1.9668 हैक्टेयर पश्चिमी भाग में तथा खेत खसरा नंबर 817 रकबा 1.9344 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.9672 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है तथा खेत खसरा नंबर 1416/426 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से रकबा 0.0729 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी कोना नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. मेहराम पुत्र चेनाराम 1/2 , नोरतन पुत्र शिवनारायण 1/2 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 0.0329 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुशार रखा गया है।
4. प्रतिवादी श्रवणराम पुत्र नारायणराम, 1/2 , पारूदेवी पत्नी धर्माराम 1/4, विनोद पुंत्र धर्माराम 1/4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 0.1295 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 7 से 10 व 12 से 14 तथा 16 से 19 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 7 से 10 व 12 से 14 तथा 16 से 19 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के सबंधित बैंक को सूचित होकर सूचना अद्यतन की जावे।(रहन होने पर)

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 08 / 2022

जीसीएमएस नंबर – ....

नोरतन बनाम् भंवरी वगैरह

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)

के राजीनामा नं०: 08/2022 प्राथमिक डिक्री के संलग्न नक्शा

ख० नं० 780

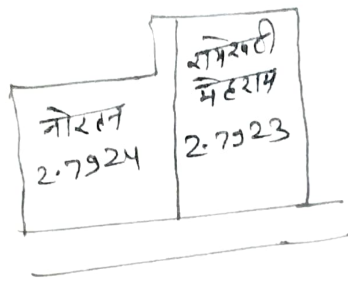

ख० नं० 817

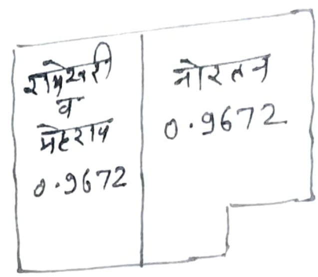

ख० नं० 1455/813

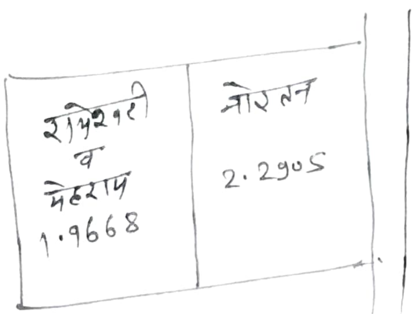

ख० नं० 1416/426

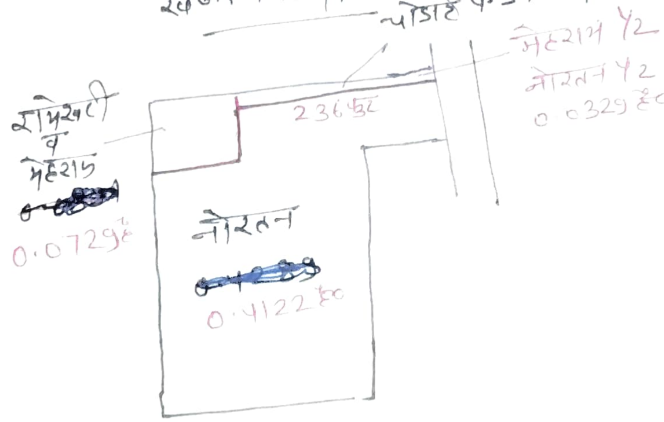

3/3/2022

विनोद

रामेश्वरी

3/3/22

मेहराम

N.T.

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नायब्दा
के राजस्व वाद क्र० 08/2022 प्राथमिक डिक्री से पंजाब नक्शा

ख० न० 780

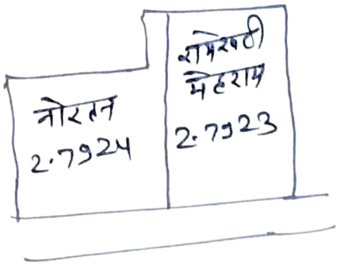

ख० न० 817

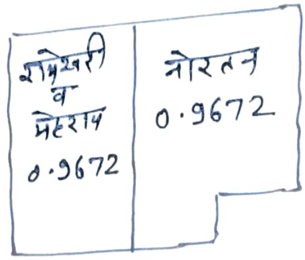

ख० न० 1455/813

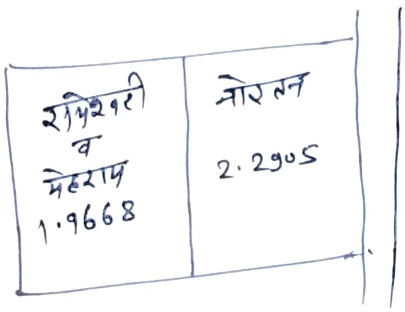

ख० न० 1416/426

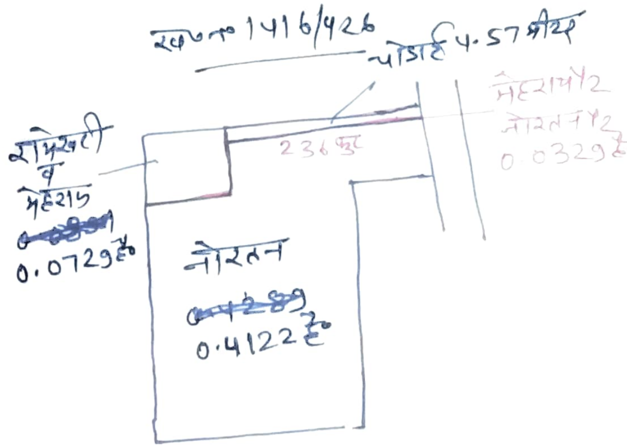

विनोद

3/3/2022

मेहराम

रामेश्वरी

N.T.deh

3/3/22

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल के राजस्व वाद क्र. 08/2022 प्राथमिक डिक्री में संलग्न नक्शा

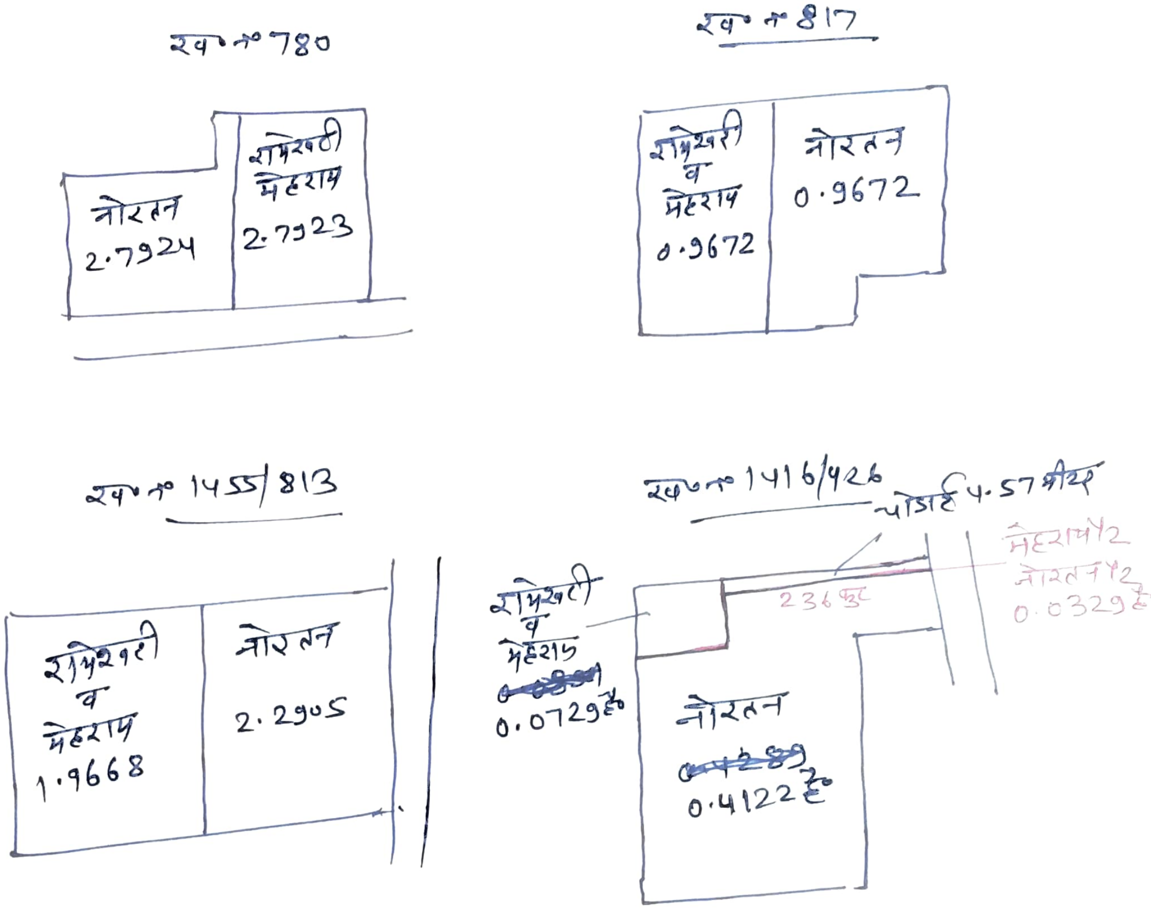

विनोद

3/3/2022

मेहराम

रामेश्वरी

N.T. deh

3/3/22